पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

करौली

ग्राम पंचायत – करौली

तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा

जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास – करौली गांव में करीब तीन सौ साल पहले आदिवासियों ने जंगल के बीच पहाड़ियों वाली जमीन पर अपने घर बना लिए और यहीं बस गए। पहले जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पति हुआ करती थी जो धीरे-धीरे नष्ट हो गई। पुराने समय में बेणेश्वर में विराजित माव जी महाराज यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने किसी से पूछा, "भाई इस गाँव का नाम क्या है?" उसने उत्तर देने के बजाय उल्टा उनसे प्रश्न किया, "तेरा क्या काम है?" फिर उन्होंने कहा कि गाँव का नाम करौली (**कर्म वगरनी करौली**) होगा। गाँव में दो पूजा स्थल - बेणेश्वर हनुमान मंदिर और महाकालिका माता का पूजा स्थल है।

गांव का एक परिचय – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में करौली गांव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत करौली और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। डूंगरपुर-बिछीवाडा सडक गाँव के बीच से होकर गुजरती है। गाँव से अहमदाबाद-डूंगरपुर-उदयपुर रेलवे-लाइन भी निकल रही है। करौली के पडौसी गाँव हथौड़, भीमसौर और ओड़ा बड़ा हैं। गांव में करीब 230 परिवार रहते हैं जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के हैं। मुख्य करौली के अतिरिक्त नवाघरा, पटेल बस्ती, यादव बस्ती, कलाल बस्ती, पानीआड़ा, डूंगरी फला, वगड़ा फला और अहारी फला, घाटीफला, डूडीया आदि 8 फले है। गाँव में आदिवासियों के अतिरिक्त पटेल, बनिये, मुसलमान, कलाल, पुजारी, यादव, पाटीदार आदि परिवार रहते हैं। आदिवासियों की अहारी, कटारा, खराड़ी, परमार, हड़ात, मनात उपजातियाँ हैं। करौली गांव में गांव सभा का गठन और शिलालेख 12 जनवरी 2018 को हुआ था। गांव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। पेसा कानून की जानकारी महिलाओं को बहुत कम है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से करौली जाने के लिए डूंगरपुर से बस मिलती है। बस करौली मुख्य सड़क पर उतार देती है सड़क के दोनों ओर डेढ़-दो किलोमीटर पैदल चलकर करौली के फलों में पहुचते हैं। करौली में आदिवासी परिवार दूर-दूर पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे और पक्के रास्ते हैं। लेकिन चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। मुख्य सड़क से गांव में आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। वहाँ पैदल या अपने साधन से आना-जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में तीन आंगनवाड़ी हैं। गांव में नवाघरा प्राथमिक विद्यालय, वगड़ाफला प्राथमिक विद्यालय, और करौली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है। एक प्राथमिक विद्यालय है इसमें बच्चों की संख्या करीब 50 और अध्यापकों की संख्या 2 है। गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की संख्या करीब 275 और अध्यापकों की संख्या 14 है। स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। स्कूल में खेल मैदान भी नहीं है। स्कूल में शौचालय है पर उसमें पानी की सुविधा नहीं है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को उनकी कक्षा स्तर का ज्ञान तक नहीं है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है। करौली में एक उपस्वास्थ्य केंद्र है, पर वहां पर केवल महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण और प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। मरीजों को इलाज के लिए कनबा (7 किलोमीटर) जाना पड़ता है। दवा खरीदने के लिए भी 7 किलोमीटर दूर कनबा जाना पड़ता है। मरीज की स्थिति अगर ज्यादा गंभीर है तो उसको डूंगरपुर या गुजरात के मोडासा और अहमदाबाद ले जाते हैं। गंभीर मरीजों को फलों से मुख्य सड़क तक चारपाई या झोली में डालकर करीब 1 से 2 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव में पशु चिकित्सा की सुविधा भी नहीं है उसके लिए भी 7 किलोमीटर दूर कनबा जाना पड़ता है।

गांव सभा की समस्याओं का विवरण-

आवागमन की कमी – करौली गांव के लोगों को कहीं आने जाने के लिए साधन आसानी से मिल जाता है क्योंकि गांव के बीच से डूंगरपुर अहमदाबाद सड़क गुजरती है। गांव में एक फले से दूसरे फले में जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं जो बरसात में खराब हो जाते हैं। कच्चे रास्तों के बाद लोगों को अपने अपने घरों तक जाने के लिए पगडंडी है जिस पर केवल पैदल ही चला जा सकता है जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को अस्पताल ले जाने और घर वापस लाने में होती है। बूढ़ों को भी पहाड़ियों पर चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। छोटे बच्चों को दूर विद्यालय पैदल ही जाना पड़ता है

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी – गांव में बहुत कम समतल जमीन है वह भी कुछ परिवारों के कब्जे में है और गांव में चरागाह भी नहीं है। आदिवासियों के पास जो खेत की जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पर पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि बहुत कम है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव की समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में करीब 15 बोरवेल, 7 कुए, 6 हैण्ड पम्प हैं। दो तालाब हैं – नवाघरा तालाब, करौली तालाब। कुछ कुओं में वर्ष भर पानी रहता है। सिंचाई के लिए कुछ परिवार के लोगों ने 15 बोरवेल (ट्यूबवेल) लगा रखे हैं जिनमें भी बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की किसी प्रकार की कोई योजना गांव के लोगों के पास नहीं है। गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराईयों वाला पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट नहीं है और ना ही पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना है। चाहे वह सिंचाई के लिए हो या जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति – गाँव के लोगों के पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। चारे की कमी के कारण लोग पशुपालन भी नहीं कर सकते हैं। कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं वहाँ भी उन्हें 100 रु. से कम ही मजदूरी मिलती है और काम भी 60-70 दिन ही मिलता है। इसलिए मनरेगा में अधिकतर महिलाएं जाती है। युवा पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव के 10 लोग सरकारी नौकरी में है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप	गाँव में करीब 7 कुए, 6 हैण्ड पम्प हैं। दो तालाब हैं – नवाघरा तालाब, करौली तालाब जो अक्टूबर तक सूख जाता है। गांव के नालों पर जो एनीकट बना है वह टूट	गांव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण और तालाब का गहरीकरण और मरम्मत कर दी जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। जलस्तर भी

ट्यूबवेल	गया है इससे पानी रिस कर निकल जाता है। कुछ कुओं में वर्ष भर पानी रहता है। सिंचाई के लिए कुछ परिवार के लोगों ने बोरवेल (ट्यूबवेल) लगा रखे हैं जिनमें भी बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है।	ऊंचा हो जाएगा। और गर्मियों में होने वाले पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। साथ ही साथ फ्लोराइड की समस्या से निजात पाया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि	गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन काफी उपजाऊ है परंतु कम है। गांव में बिला नाम जमीन भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव में चारागाह नहीं है।	गांव की कुछ जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी – गाँव में चरागाह नहीं होने और कृषि भूमि कम होने से गाँव में चारे का संकट हो जाता है अत: पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। वे गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। मजदूरी भी 100 रु प्रति दिन से कम ही मिलती है। गांव में रोजगार के साधन नहीं होने से लोग निकट के शहरों डूंगरपुर बिछीवाड़ा में काम की तलाश में रोज सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक घर वापस आ जाते हैं। वहां भी लोगों को महीने में 15-20 दिन ही काम मिल पाता है जिन लोगों को बेहतर जीवन जीने की चाहत होती है वह लोग गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में काम के लिए चले जाते हैं लेकिन वहां भी उनको मजदूरी 250 से 300 रु के बीच ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास और श्रमिक कार्ड और कुछ लोगों का जॉब कार्ड नहीं बना है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका किस्त भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। अक्सर राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा न तो उनको चावल, चीनी और न ही मिट्टी का तेल मिलता है। मिट्टी का तेल नहीं मिलने के कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि

बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायती राज विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गांव के जिन रास्तों का निर्माण किया जाता है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होता और रास्ते जल्द ही ख़राब होकर टूट फूट जाते हैं। आपसी विवाद के कारण कुछ लोग अपनी जमीन भी नहीं देते हैं जिससे रास्ते के निर्माण में परेशानी होती है।	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां-जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते के संकट का समाधान होने की संभावना है। साथ ही साथ गांव में रास्ते के लिए जमीन संबंधी विवाद निपटाने का भी निर्णय लिया गया है।	**तात्कालिक**
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है। विद्यार्थियों को विद्यालय में पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। गाँव के दोनों तालाबों का गहरीकरण करके और मरम्मत करके। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देकर	**तात्कालिक**

				गांव के लोगों की आय बढ़ाना।	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से भी कुछ लोगों का किस्त भुगतान नहीं हुआ है। पात्रता होने के बावजूद भी गांव के कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी उम्र पहचान पत्र में कम है उम्र संशोधन कराने की जानकारी का अभाव और हर 6 महीने में जीवित प्रमाण पत्र देने की जानकारी का अभाव होने से भी लोग पेंशन से वंचित है।	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से दो	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को	**तात्कालिक**

			समस्याएँ खड़ी हो गयी है - 1. फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में ज्यादा बढ़ रही है। 2. गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है।	रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गांव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	गाँव के लोगों द्वारा रास्तों के लिए जमीन नहीं देना। कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे-मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। सबसे ज्यादा सुविधा मरीजों के लिए होगी।	मजबूत का कमेटियों गांव ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। रास्ता निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना।
जल तालाब कुआं बोरवेल हैंड पंप	बरसात के बाद तालाब से पानी रिस कर निकल जाना। पहाड़ों के दर्रे में चेक डैम नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गांव के लोगों की जागरूकता में कमी। पुराने और जर्जर एनीकट की मरम्मत नहीं करना।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट से निजात मिल सकती है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता है। तालाबों को गहरा करके। सौरऊर्जा चलित पम्प का उपयोग सिंचाई के लिए करके। गाँव में जल प्रबंधन की समस्या पर ध्यान देकर।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। उन्नतशील बीज और	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी की खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास चारागाह न होना, पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और

	कंपोस्ट खाद का अभाव।		पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

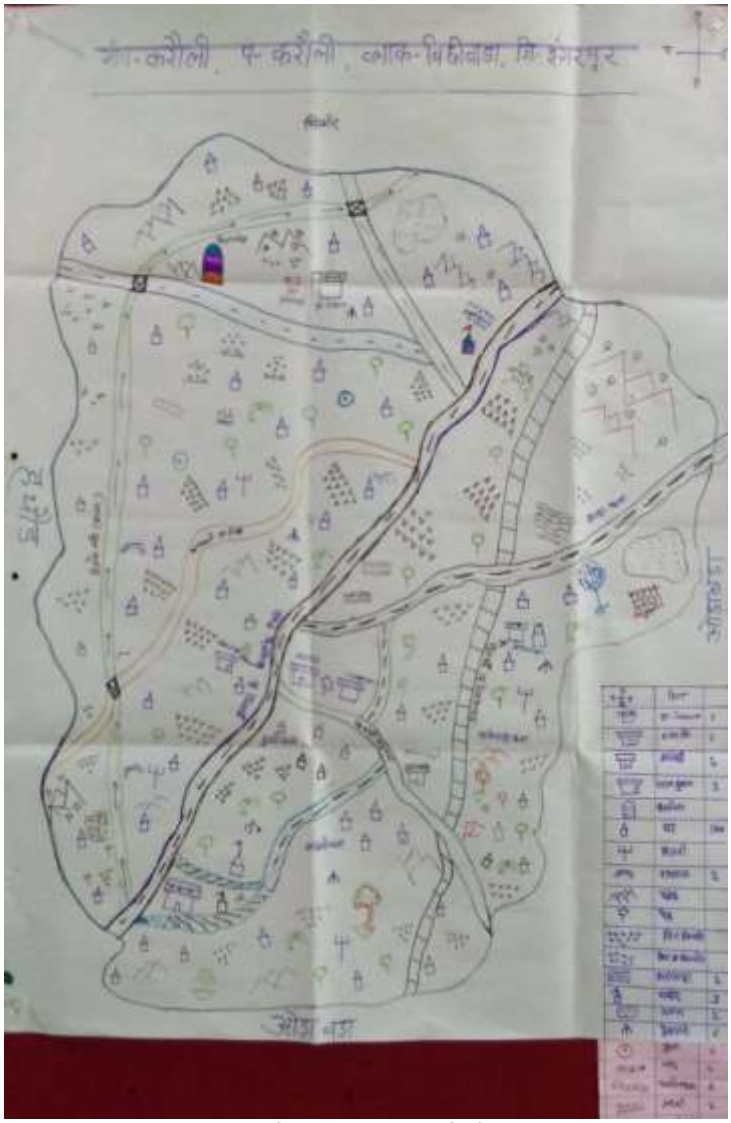

नजरिया नक्शा करौली

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	विद्यालय के संबंध में छत मरम्मत नवाघरा प्राथमिक विद्यालय करौली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परकोटा नवाघरा प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण नया कक्षा कक्ष बगड़ा फला प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति नवाघरा प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापक वगड़ाफला प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापक करौली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में विज्ञान संकाय रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर प्लांट तीनों स्कूल में	3
2	नई आंगनवाड़ी निर्माण के संबंध में वगड़ा फला में स्कूल के पास पहाड़ी पर	1
3	स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में करौली बस स्टैंड के पास स्वास्थ्य केंद्र पर रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर प्लांट लगवाने के संबंध में	1
4	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	14
	विधवा पेंशन	1
	विकलांग पेंशन	3
	एकल नारी	3
	पालनहार योजना 1 से 5 वर्ष	1
	पालनहार योजना 16 से 18 वर्ष 3	3
5	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के संबंध में	26
	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बकाया किस्त भुगतान	1
6	शौचालय निर्माण के संबंध में	3
	शौचालय निर्माण की बकाया किस्त का भुगतान	–
7	उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में काली घाटी हनुमार मंदिर के पास	1
8	सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में शिलालेख के पास आंगनवाड़ी के पास	2
9	रास्ता निर्माण के संबंध में	
	कच्ची सड़क	2
	सी. सी. सड़क	7
10	श्मशान घाट के संबंध में	1
11	पुराने हैंडपंप की मरम्मत के संबंध में	5
	नए हैंडपंप के संबंध में	10
12	नवाघरा तालाब और करौली तालाब के गहरीकरण के साथ का रिंग बाल बनवाना	2
13	एनीकट निर्माण के संबंध में	1
	एनीकट मरम्मत के संबंध में	1

14	चेक डैम निर्माण के संबंध में (कच्चा)	19
15	पशु दवाखाना के संबंध में	1
16	केटेगरी 4 के कार्य – खेत समतलीकरण, कुआं निर्माण/गहर कुआं, पशु बाड़ा निर्माण	41
17	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा के संबंध में	--
18	आपसी विवाद निपटारा और सामाजिक कुरीतियों पर रोक के संबंध में डायन प्रथा मौताणा बाल श्रम बाल विवाह पर रोक	1

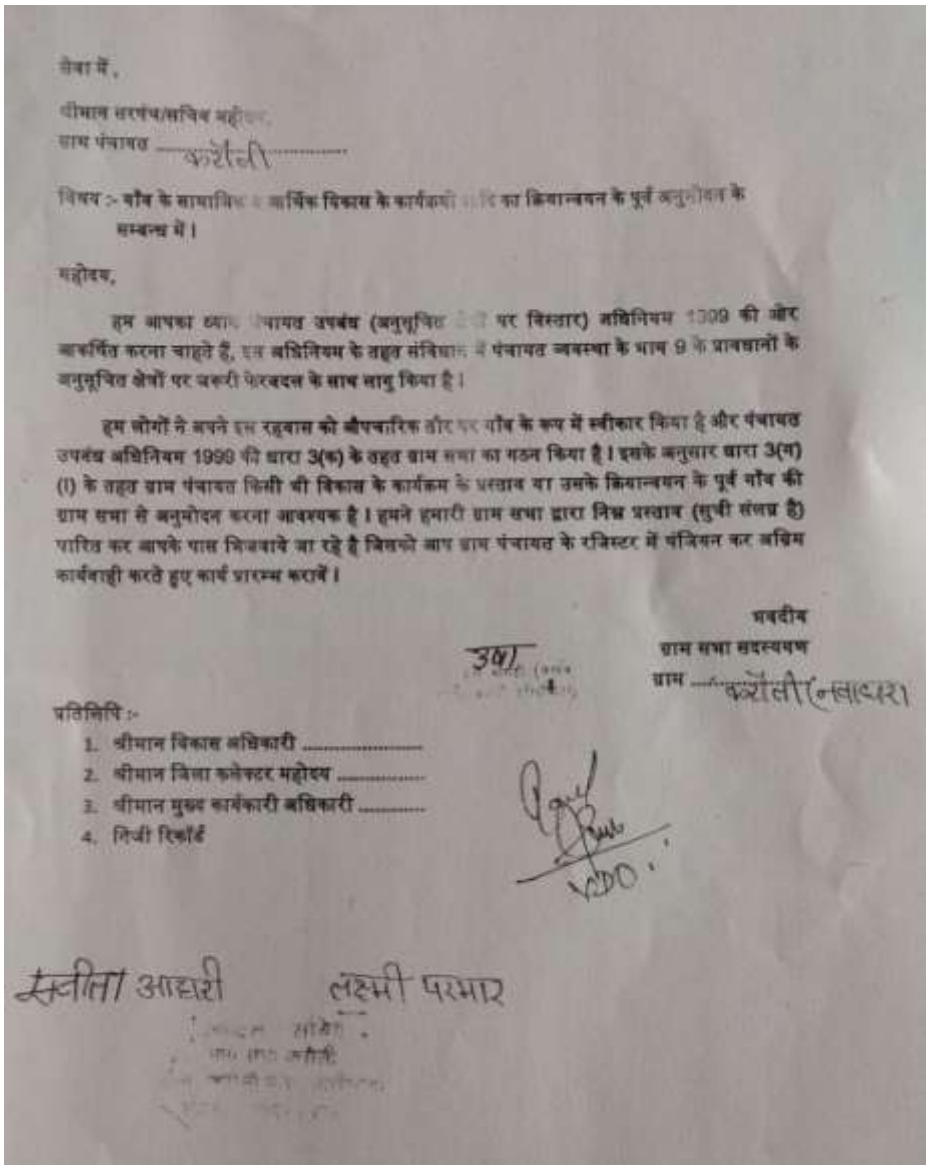

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया –

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ---करौली---

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाने जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ---करौली---

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

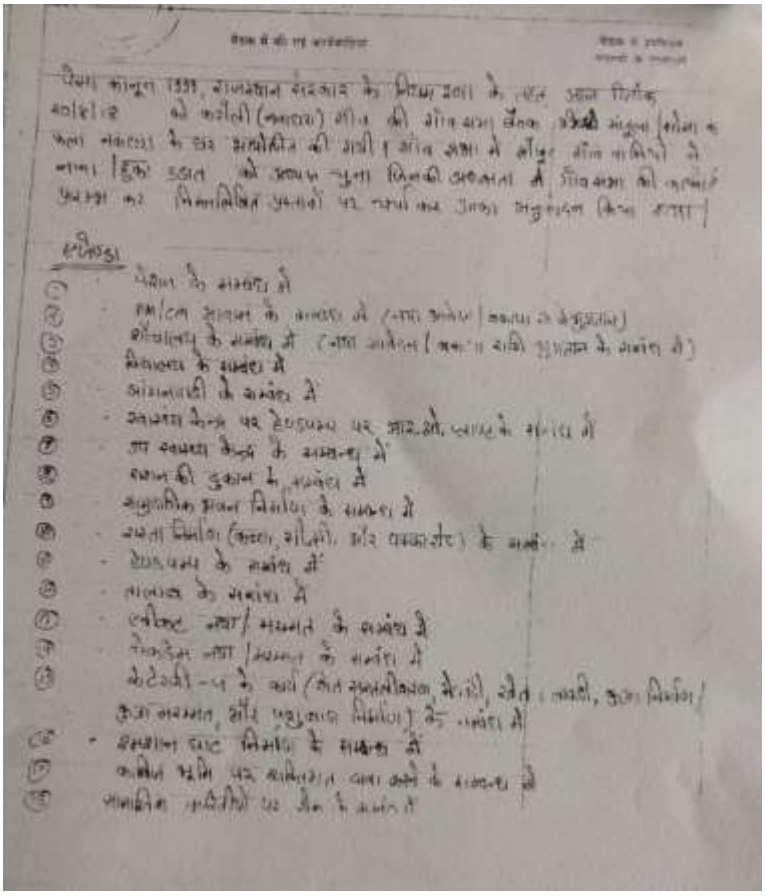

प्रस्ताव प्रथम पेज

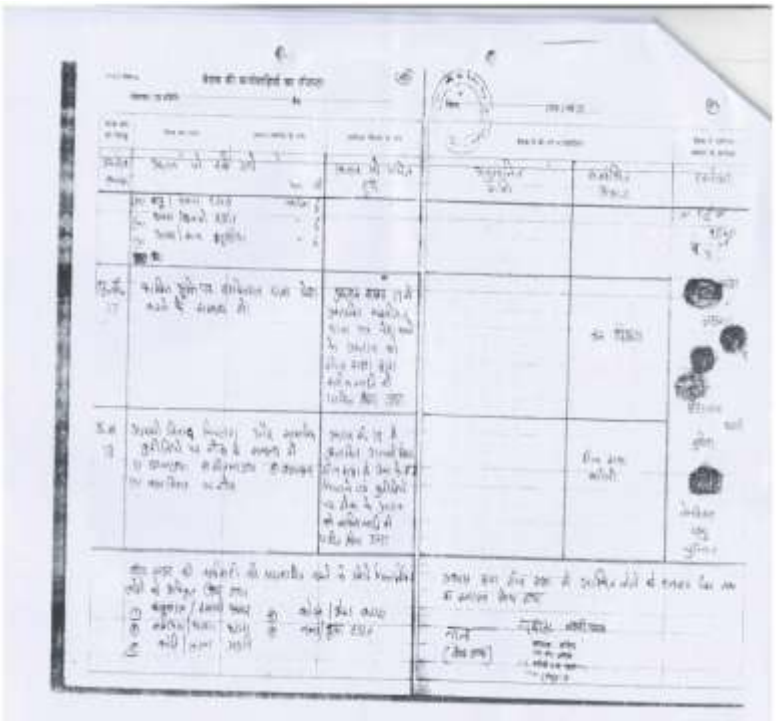

प्रस्ताव अंतिम पेज

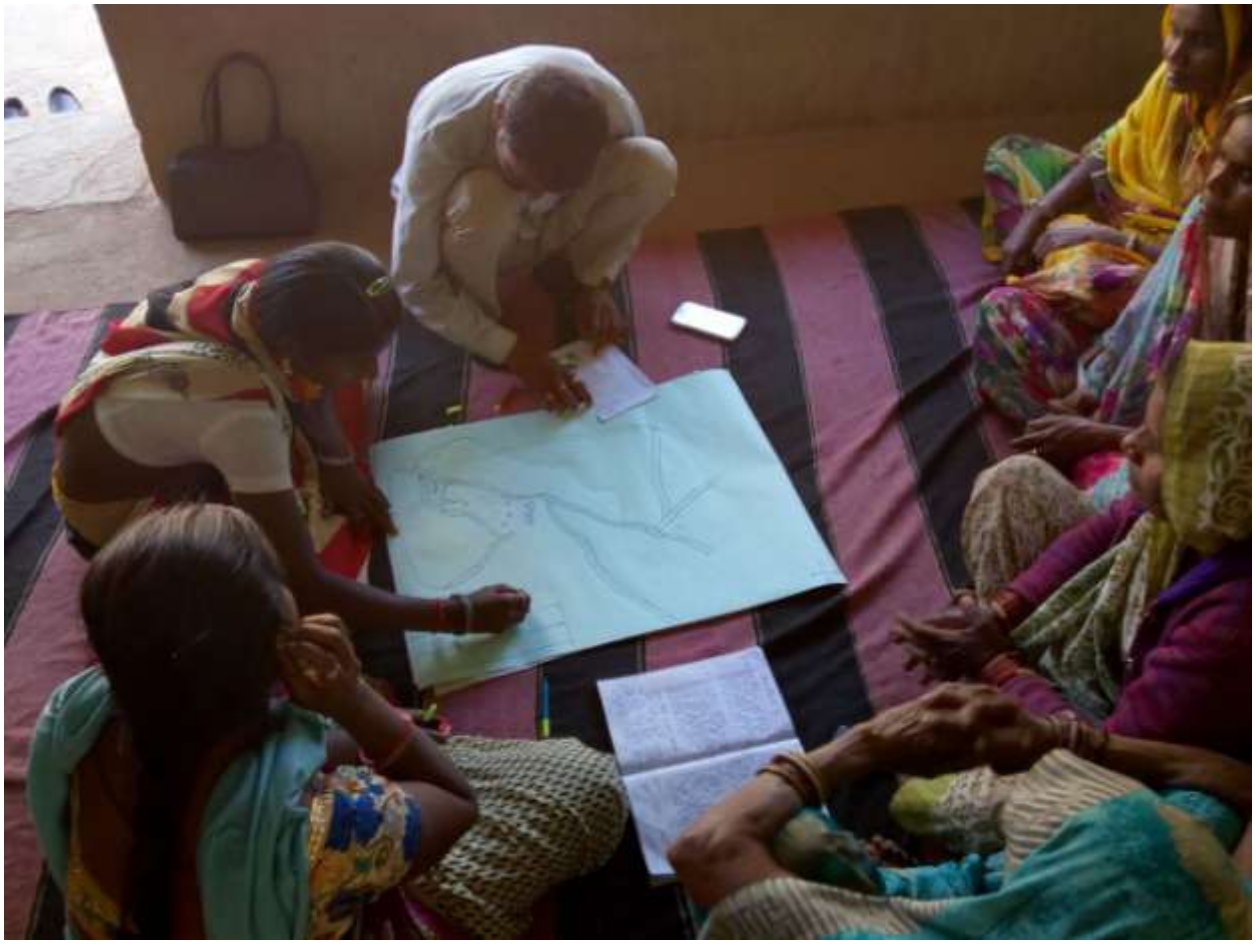

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	फोन न.
1. मांगू -	7742825343
2. ईश्वरलाल -	7742825343
3. लक्ष्मी परमार -	9660373533
4. सविता अहारी	